भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1941

बुधवार, दिनांक 11 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र</u>

1941. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः
श्रीमती भारती पारधीः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, कल्याण, रायगढ़ और पुणे नगर निगमों में शहरी ठोस कचरे के प्रसंस्करण के लिए चालू अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) इन संयंत्रों की बिजली उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है और इनके संचालन तथा रखरखाव में आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) बायो-मेथेनेशन और बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र के शहरी स्थानीय निकायों को प्रदान की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता की स्थिति क्या है;

(घ) अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की दक्षता में सुधार के लिए स्रोत पर कचरे के पृथक्करण को लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए अपशिष्ट से उत्पन्न बिजली के प्रशुल्क निर्धारण पर सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) एवं (ख): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (**PCMC),** पुणे में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW**)** के 700 टन प्रति दिन (TPD**)** को संसाधित करने की डिज़ाइन क्षमता वाला, विद्युत उत्पादन के लिए 14 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ एक अपशिष्ट-से-ऊर्जा (**WtE)** संयंत्र कार्यरत है।

इन संयंत्रों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है**,** जैसे कि पृथक किए गए कचरे की उपलब्धता और गुणवत्ता**,** और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रचालन और रखरखाव पद्धतियाँ।

(ग) और (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) 2.0 के अंतर्गत, योजना **के** दिशानिर्देशों के अधीन बायो-मिथेनेशन और बायोगैस संयंत्रों सहित विभिन्न अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए शहरी स्थानीय निकायों (ULB_S) को केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) प्रदान की जाती है। मिशन के अंतर्गत अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹18 करोड़ प्रति 100 TPD की दर से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता और 25-50% की व्यवहार्यता अंतर निधि (VGF) भी स्वीकार्य है।

महाराष्ट्र राज्य के लिए, SBM-U 2.0 के तहत 3758.5 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें से 1438.1 करोड़ रुपये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कंपोनेंट के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस घटक के तहत, अब तक 1316.29 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से सहित 4255.81 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसमें 40.41 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से के साथ**,** 837 TDP की क्षमता वाले बायो-मिथेनेशन संयंत्रों की स्वीकृति शामिल है।

इसके अलावा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत स्रोत पर अपशिष्ट **(**कचरे**)** का पृथक्करण करना अनिवार्य है।

(ड.): अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न विद्युत के लिए टैरिफ का निर्धारण, संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा, विद्युत अधिनियम**,** 2003 और लागू विनियमों के अनुसार, पूंजी लागत**,** परिचालन व्यय और परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।
